उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–2036 / नौ–5–2016–194सा / 2016
लखनऊः दिनांक 13 जुलाई, 2016

कार्यालय ज्ञाप

अमृत (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं की पहचान से लेकर कियान्वयन तक के लिए **परियोजना विकास और प्रबन्धन परामर्शदाता** (PDMC-Project Development & Management Consultation) का प्रावधान किया गया है। PDMC की नियुक्ति अमृत के दिशा–निर्देशों के प्रस्तर–11.2 (VIII) के अनुसार राज्य स्तरीय तकनीकि समिति (SLTC-State Level Technical Committee) की संस्तुति के अनुसार किया जाना है। अमृत के दिशा–निर्देशों के प्रस्तर–8.3 के अनुसार पूर्व में परियोजनाओं के Design, Tendering इत्यादि के कारण परियोजनाओं के कियान्वयन में विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों एवं ULBs को Project Design, Development & Implementation & Management बाहरी Entities द्वारा अनुमन्य किया गया है तथा ये बाहरी Entity PDMC कहलायेंगी। PDMC के विस्तृत दायित्व अमृत के दिशा–निर्देश के Annexure-8 में दिये गये हैं।

2– मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार दिनांक 11.02.2016 को सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की सम्पन्न बैठक के एजेण्डा बिन्दु–6 में यह निर्णय लिया गया है कि *पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज के लिए पीडीएमसी से संबंधित विशेषज्ञों की तैनाती उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्यालय पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा तथा पार्क एवं नगरीय परिवहन से संबंधित विशेषज्ञों की तैनाती क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ पर PDMC के रूप में की जायेगी तथा इसका पूर्ण समन्वय श्री ए0के0 गुप्ता, अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ, जो अर्बन मैनेजमेन्ट विशेषज्ञ भी हैं, के द्वारा किया जायेगा, जो उपर्युक्त कार्यों के लिए मिशन निदेशक (अमृत) को सहयोग प्रदान करेंगे।*

3– अतः राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 11.02.2016 में **परियोजना विकास और प्रबन्धन परामर्शदाता** (PDMC-Project Development & Management Consultation) के संदर्भ में की गई संस्तुति के अनुसार उ0प्र0 जल निगम के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–102 / 1005 / 035–0301 / AMRUT / 16 दिनांक 10.03.2016 द्वारा उ0प्र0 जल निगम के मुख्यालय स्तर पर तथा क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के पत्र संख्या–यूआरसी / 16 / 93 / एडी / 2016–17 दिनांक 05.07.2016 द्वारा आरसीयूईएस के स्तर पर कार्यहित में गठित पीडीएमसी के गठन पर एतद्द्वारा राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव।

संख्या–2036(1) / नौ–5–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
2– सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
3– स्टेट मिशन डायरेक्टर(अमृत) / निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4– मिशन निदेशक (अमृत), भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
5– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।
8– प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9– निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
10– निदेशक / अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
11– गार्ड फाईल / कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।